



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02082022-237842
CG-DL-E-02082022-237842

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3439]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 1, 2022/श्रावण 10, 1944

No. 3439]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 1, 2022/SHRAVANA 10, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2022

का.आ. 3604(अ).—1) क्रमिक संख्या 7, पर निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी में सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट और प्रांत ऑफिसर, देहगाम को सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट और प्रांत ऑफिसर, गांधीनगर के रूप में पढ़ा जाएगा।

2) क्रमिक संख्या 6, पर निर्दिष्ट तालुका/मंडल-कलोल के अंतर्गत बताए गए गांव जेसे की जामला, वागोसाणा, धेंधु, शोभासण, इटला, अलुवा, बालवा, नादरी, सोजा और भीमापुरा को तालुका मनसा के (अंतर्गत) तहत पढ़ा जाए।

3) क्रमिक संख्या 5, पर निर्दिष्ट गांव -खेरवा (तालुका/मंडल-विसनगर के अंतर्गत क्रमांक 9 पर दर्पित) को स्पेशल लैंड एक्वीजिशन एवं प्रान्त ऑफिसर, मेहसाणा के अंतर्गत तालुका/मंडल-मेहसाणा के (अंतर्गत) तहत पढ़ा जाए।

4) क्रमिक संख्या 9, पर निर्दिष्ट, गांव -खेरवा, हटा दिया जाए।

5) क्रमिक संख्या 2, पर निर्दिष्ट, गांव - फतेगढ़, तालुक-कांकरेज, जिला - बनासकांठा को जोड़ा जाये।

1) क्रमिक संख्या 7, पर निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी में सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट और प्रांत ऑफिसर, देहगाम को सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट और प्रांत ऑफिसर, गांधीनगर के रूप में पढ़ा जाएगा। 2) क्रमिक संख्या 6, पर निर्दिष्ट तालुका/मंडल-कलोल के अंतर्गत बताए गए गांव जेसे की जामला, वागोसाणा, धेंधु, शोभासण, इटला, अलुवा, बालवा, नादरी, सोजा और भीमापुरा को तालुका मनसा के (अंतर्गत) तहत पढ़ा जाए। 3) क्रमिक संख्या 5, पर निर्दिष्ट गांव -खेरवा (तालुका/मंडल-विसनगर के अंतर्गत क्रमांक 9 पर दर्पित) को स्पेशल लैंड एक्वीजिशन एवं प्रान्त ऑफिसर, मेहसाणा के अंतर्गत तालुका/मंडल-मेहसाणा के (अंतर्गत) तहत पढ़ा जाए। 4) क्रमिक संख्या 9, पर निर्दिष्ट, गांव -खेरवा, हटा दिया जाए। 5) क्रमिक संख्या 2, पर निर्दिष्ट, गांव - फतेगढ़, तालुक-कांकरेज, जिला - बनासकांठा को जोड़ा जाये।

1) क्रमिक संख्या 7, पर निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी में सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट और प्रांत ऑफिसर, देहगाम को सब- डिविजनल मजिस्ट्रेट और प्रांत ऑफिसर, गांधीनगर के रूप में पढ़ा जाएगा। 2) क्रमिक संख्या 6, पर निर्दिष्ट तालुका/मंडल-कलोल के अंतर्गत बताए गए गांव जेसे की जामला, वागोसाणा, धेंधु, शोभासण, इटला, अलुवा, बालवा, नादरी, सोजा और भीमापुरा को तालुका मनसा के (अंतर्गत) तहत पढ़ा जाए। 3) क्रमिक संख्या 5, पर निर्दिष्ट गांव -खेरवा (तालुका/मंडल-विसनगर के अंतर्गत क्रमांक 9 पर दर्षित) को स्पेशल लैंड एक्वीजीशन एवं प्रान्त ऑफिसर, मेहसाणा के अंतर्गत तालुका/मंडल-महेसाणा के (अंतर्गत) तहत पढ़ा जाए। 4) क्रमिक संख्या 9, पर निर्दिष्ट, गांव -खेरवा, हटा दिया जाए। 5) क्रमिक संख्या 2, पर निर्दिष्ट, गांव - फतेगढ़, तालुक-कांकरेज, जिला - बनासकांठा को जोड़ा जाये।

1) क्रमिक संख्या 7, पर निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी में सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट और प्रांत ऑफिसर, देहगाम को सब- डिविजनल मजिस्ट्रेट और प्रांत ऑफिसर, गांधीनगर के रूप में पढ़ा जाएगा। 2) क्रमिक संख्या 6, पर निर्दिष्ट तालुका/मंडल-कलोल के अंतर्गत बताए गए गांव जेसे की जामला, वागोसाणा, धेंधु, शोभासण, इटला, अलुवा, बालवा, नादरी, सोजा और भीमापुरा को तालुका मनसा के (अंतर्गत) तहत पढ़ा जाए। 3) क्रमिक संख्या 5, पर निर्दिष्ट गांव -खेरवा (तालुका/मंडल-विसनगर के अंतर्गत क्रमांक 9 पर दर्षित) को स्पेशल लैंड एक्वीजीशन एवं प्रान्त ऑफिसर, मेहसाणा के अंतर्गत तालुका/मंडल-महेसाणा के (अंतर्गत) तहत पढ़ा जाए। 4) क्रमिक संख्या 9, पर निर्दिष्ट, गांव -खेरवा, हटा दिया जाए। 5) क्रमिक संख्या 2, पर निर्दिष्ट, गांव - फतेगढ़, तालुक-कांकरेज, जिला - बनासकांठा को जोड़ा जाये।

1) क्रमिक संख्या 7, पर निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी में सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट और प्रांत ऑफिसर, देहगाम को सब- डिविजनल मजिस्ट्रेट और प्रांत ऑफिसर, गांधीनगर के रूप में पढ़ा जाएगा। 2) क्रमिक संख्या 6, पर निर्दिष्ट तालुका/मंडल-कलोल के अंतर्गत बताए गए गांव जेसे की जामला, वागोसाणा, धेंधु, शोभासण, इटला, अलुवा, बालवा, नादरी, सोजा और भीमापुरा को तालुका मनसा के (अंतर्गत) तहत पढ़ा जाए। 3) क्रमिक संख्या 5, पर निर्दिष्ट गांव -खेरवा (तालुका/मंडल-विसनगर के अंतर्गत क्रमांक 9 पर दर्षित) को स्पेशल लैंड एक्वीजीशन एवं प्रान्त ऑफिसर, मेहसाणा के अंतर्गत तालुका/मंडल-महेसाणा के (अंतर्गत) तहत पढ़ा जाए। 4) क्रमिक संख्या 9, पर निर्दिष्ट, गांव -खेरवा, हटा दिया जाए। 5) क्रमिक संख्या 2, पर निर्दिष्ट, गांव - फतेगढ़, तालुक-कांकरेज, जिला - बनासकांठा को जोड़ा जाये।

1) क्रमिक संख्या 7, पर निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी में सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट और प्रांत ऑफिसर, देहगाम को सब- डिविजनल मजिस्ट्रेट और प्रांत ऑफिसर, गांधीनगर के रूप में पढ़ा जाएगा। 2) क्रमिक संख्या 6, पर निर्दिष्ट तालुका/मंडल-कलोल के अंतर्गत बताए गए गांव जेसे की जामला, वागोसाणा, धेंधु, शोभासण, इटला, अलुवा, बालवा, नादरी, सोजा और भीमापुरा को तालुका मनसा के (अंतर्गत) तहत पढ़ा जाए। 3) क्रमिक संख्या 5, पर निर्दिष्ट गांव -खेरवा (तालुका/मंडल-विसनगर के अंतर्गत क्रमांक 9 पर दर्षित) को स्पेशल लैंड एक्वीजीशन एवं प्रान्त ऑफिसर, मेहसाणा के अंतर्गत तालुका/मंडल-महेसाणा के (अंतर्गत) तहत पढ़ा जाए। 4) क्रमिक संख्या 9, पर निर्दिष्ट, गांव -खेरवा, हटा दिया जाए। 5) क्रमिक संख्या 2, पर निर्दिष्ट, गांव - फतेगढ़, तालुक-कांकरेज, जिला - बनासकांठा को जोड़ा जाये।

[फा. सं. NHAI/PIU-Palanpur/2021/Tharad-Ahmedabad/3(a)]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 1st August, 2022

S.O. 3604(E).—1) At Sl No. 7, CALA shall be read as Sub-Divisional Magistrate & Prant Officer, Gandhinagar instead of Sub-Divisional Magistrate & Prant Officer Dehgam.

2) At Sl. No. 6 , the villages- Jamla, Vagosana, Dhendhu, Sobhasan, Itala, Aluva, Balva, Nadri, Soja & Bhimapura indicated under Taluka/Mandal-kalol shall be read under Taluka-Manasa under Sub-Divisional Magistrate & Prant Officer, Kalol.

3) At. Sl. No. 5, the village-Kherva (considered at sl. No. 9 under Taluka/Mandal- Visnagar) shall be added under Taluka/Mandal- Mahesana under Special land Acquisition & prant Officer, Mehasana.

4) At Sl. No. 9, the Village- Kherva shall consider as deleted.

5) At Sl. No. 2, the Village-Fategadh, Taluka/Mandal-Kankrej, Dist-Banaskantha shall be added

1) At Sl No. 7, CALA shall be read as Sub-Divisional Magistrate & Prant Officer, Gandhinagar instead of Sub-Divisional Magistrate & Prant Officer Dehgam. 2) At Sl. No. 6 , the villages- Jamla, Vagosana, Dhendhu, Sobhasan, Itala, Aluva, Balva, Nadri, Soja & Bhimapura indicated under Taluka/Mandal-kalol shall be read under Taluka-Manasa under Sub-Divisional Magistrate & Prant Officer, Kalol. 3) At. Sl. No. 5, the village-Kherva (considered at sl. No. 9 under Taluka/Mandal- Visnagar) shall be added under Taluka/Mandal- Mahesana under Special land Acquisition & prant Officer, Mehasana. 4) At Sl. No. 9, the Village- Kherva shall consider as deleted. 5) At Sl. No. 2, the Village-Fategadh, Taluka/Mandal-Kankrej, Dist-Banaskantha shall be added.

1) At Sl No. 7, CALA shall be read as Sub-Divisional Magistrate & Prant Officer, Gandhinagar instead of Sub Divisional Magistrate & Prant Officer Dehgam. 2) At Sl. No. 6 , the villages- Jamla, Vagosana, Dhendhu, Sobhasan, Itala, Aluva, Balva, Nadri, Soja & Bhimapura indicated under Taluka/Mandal-kalol shall be read under Taluka-Manasa under Sub-Divisional Magistrate & Prant Officer, Kalol. 3) At. Sl. No. 5, the village-Kherva (considered at sl. No. 9 under Taluka/Mandal- Visnagar) shall be added under Taluka/Mandal- Mahesana under Special land Acquisition & prant Officer, Mehasana. 4) At Sl. No. 9, the Village- Kherva shall consider as deleted. 5) At Sl. No. 2, the Village-Fategadh, Taluka/Mandal-Kankrej, Dist-Banaskantha shall be added 1) At Sl No. 7, CALA shall be read as Sub-Divisional Magistrate & Prant Officer, Gandhinagar instead of Sub-Divisional Magistrate & Prant Officer Dehgam. 2) At Sl. No. 6 , the villages- Jamla, Vagosana, Dhendhu, Sobhasan, Itala, Aluva, Balva, Nadri, Soja & Bhimapura indicated under Taluka/Mandal-kalol shall be read under Taluka-Manasa under Sub Divisional Magistrate & Prant Officer, Kalol. 3) At. Sl. No. 5, the village-Kherva (considered at sl. No. 9 under Taluka/Mandal- Visnagar) shall be added under Taluka/Mandal- Mahesana under Special land Acquisition & prant Officer, Mehasana. 4) At Sl. No. 9, the Village- Kherva shall consider as deleted. 5) At Sl. No. 2, the Village-Fategadh, Taluka/Mandal-Kankrej, Dist-Banaskantha shall be added.

1) At Sl No. 7, CALA shall be read as Sub-Divisional Magistrate & Prant Officer, Gandhinagar instead of Sub-Divisional Magistrate & Prant Officer Dehgam. 2) At Sl. No. 6 , the villages- Jamla, Vagosana, Dhendhu, Sobhasan, Itala, Aluva, Balva, Nadri, Soja & Bhimapura indicated under Taluka/Mandal-kalol shall be read under Taluka-Manasa under Sub-Divisional Magistrate & Prant Officer, Kalol. 3) At. Sl. No. 5, the village-Kherva (considered at sl. No. 9 under Taluka/Mandal- Visnagar) shall be added under Taluka/Mandal- Mahesana under Special land Acquisition & prant Officer, Mehasana. 4) At Sl. No. 9, the Village- Kherva shall consider as deleted. 5) At Sl. No. 2, the Village-Fategadh, Taluka/Mandal-Kankrej, Dist-Banaskantha shall be added.

1) At Sl No. 7, CALA shall be read as Sub-Divisional Magistrate & Prant Officer, Gandhinagar instead of Sub-Divisional Magistrate & Prant Officer Dehgam. 2) At Sl. No. 6 , the villages- Jamla, Vagosana, Dhendhu, Sobhasan, Itala, Aluva, Balva, Nadri, Soja & Bhimapura indicated under Taluka/Mandal-kalol shall be read under Taluka-Manasa under Sub-Divisional Magistrate & Prant Officer, Kalol. 3) At. Sl. No. 5, the village-Kherva (considered at sl. No. 9 under Taluka/Mandal- Visnagar) shall be added under Taluka/Mandal- Mahesana under Special land Acquisition & prant Officer, Mehasana. 4) At Sl. No. 9, the Village- Kherva shall consider as deleted. 5) At Sl. No. 2, the Village-Fategadh, Taluka/Mandal-Kankrej, Dist-Banaskantha shall be added

[F. No. NHAI/PIU-Palanpur/2021/Tharad-Ahmedabad/3(a)]

RAJESH GUPTA, Director